

भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1546
जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2011 को दिया जाना है ।

.....

वर्षा जल संचयन

1546. श्री शादी लाल बत्रा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देश में औसत वार्षिक वर्षा दर क्या है ;
- (ख) अब तक कितनी मात्रा में वर्षा जल का संचयन और उपयोग किया गया है ;
- (ग) सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और
- (घ) सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन के सकारात्मक पहलुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वर्षा जल संचयन योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीसैंट एच. पाला)

- (क) राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी-1999) की रिपोर्ट के अनुसार समस्त देश में विस्तृत क्षेत्रीय परिवर्तन सहित औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 1170 मि. मी. है।
- (ख) वर्षा जल का संचयन सतही भंडारण और भूमि जल के पुनर्भरण द्वारा किया जाता है। वृहद और मध्यम परियोजनाओं द्वारा सृजित कुल भंडारण क्षमता लगभग 225 बीसीएम है। भूमि जल पुनर्भरण द्वारा वर्षा जल संचयन की मात्रा 433 बीसीएम है। जल संसाधन मंत्रालय मानव निर्मित संरचनाओं के द्वारा संचयन किए गए जल की मात्रा के आंकड़ों का अलग से रखरखाव नहीं करता है। वर्ष 2010 में उपयोज्य जल की अनुमानित मात्रा लगभग 681 बीसीएम है।
- (ग) एवं (घ) जल राज्य का विषय है, अतः वर्षा जल संचयन स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और निष्पादन करना प्रथमतः राज्य सरकार का दायित्व है। तथापि, केंद्र सरकार ने वर्षा जल संचयन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में जागरूकता फैलाने तथा राज्यों का प्रोत्साहन देने के

लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- 11वीं योजना के दौरान 100 करोड़ रुपये के परिव्यय की वर्षा जल संचयन और भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं को प्रारंभ करना।
- जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) हेतु दो स्कीमों, एक को 1500 करोड़ के केन्द्रीय परिव्यय के साथ बाह्य सहायता से तथा अन्य एक को 1250 करोड़ रुपये के केन्द्रीय परिव्यय सहित, को मंजूरी देना।
- वर्ष 2007 और 2010 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय भूमि जल कांग्रेस की केन्द्रीय योजना स्कीमों नामतः “भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन” और “सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी)” के अंतर्गत देश भर में वर्षा जल संचयन और भूमि जल के पुनर्भरण संबंधी 384 जन जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया ।
- वर्ष 2002 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर योजना को परिचालित किया गया।
- मार्च, 2010 में प्रयोक्ताओं सहित सभी पणधारियों को भूमि जल से संबंधित सूचना के प्रचार प्रसार हेतु भूमि जल सूचना प्रणाली को प्रारंभ किया गया था।
- राज्यों को वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने की सलाह दी गई है। इसके अनुसरण में 18 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने भवन निर्माण उप नियमों के अंतर्गत वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया है।
- भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए अतिदोहित 12 राज्यों के मुख्य सचिवालयों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा निदेश जारी किया जाना ।
- सीजीडब्ल्यूए द्वारा देश में अतिदोहित और गंभीर क्षेत्रों (जल जमाव वाले क्षेत्रों को छोड़कर) के अंतर्गत आने वाले सभी रिहायशी सामूहिक आवासीय सोसाइटियों/ संस्थाओं/ विद्यालयों/ होटलों/ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने परिसरों में छत के वर्षा जल संचयन की प्रणालियों को अपनाने हेतु सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निदेश जारी करना ।
- केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेलवे बोर्ड, खेल प्राधिकरण, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन, युवा मामले एवं खेलकूद के प्रमुखों को सभी राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों तथा अन्य सड़कों, रेलवे ट्रैकों तथा रेलवे की अन्य स्थापनाओं, सभी स्टेडियम तथा हवाई अड्डों पर भूमि जल पुनर्भरण स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए सीजीडब्ल्यूए द्वारा निदेश जारी करना ।
